

तारीख हुक्म

खेमसिंह बनाम लो.सू.अ. (उपखण्ड अधिकारी लूणी)

सू.अ.अ. अपील संख्या 147/2019

11.09.19

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी खेमसिंह पुत्र गणपतसिंह निवासी शिकारपुरा तहसील लूणी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 09.07.19 में उसके द्वारा (1) कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी(130) लूणी विधानसभा के उपखण्ड अधिकारी लूणी में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी के उपस्थिति रजिस्टर माह जुन 2019 एवं 01.07.19 से 07.07.19, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी लूणी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी लूणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों. (उपखण्ड अधिकारी लूणी) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी लूणी) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना रिकॉर्ड पर उपलब्ध होने पर प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।